ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.012

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान अवसर : संवैधानिक संरक्षण

डॉ० प्रबोध कुमार गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, शिया पी.जी. कॉलेज, लखनऊ
ई-मेल prabodhgarg32@gmail.com

शोध पत्र सार
लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन तथा कार्य करने का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ऐसे समाज में रंग-रूप, जन्म जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्र एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद १६ यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद १६, यह उपबंध करता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद् भव, जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। संसद कानून बनाकर किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निवास स्थान की शर्त लगा सकती हैं। अनुच्छेद १६ राज्य को यह प्राधिकार देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों व पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है जिनको उसकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। अवसर की समता एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों व आदर्शों को पूरा करते हैं परंतु केवल संवैधानिक संरक्षण से ही किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती इसके लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक जातीयता प्रांतीयता तथा भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बन जाए। तभी हम संविधान के आदर्शों को विकसित कर सकते हैं।

मुख्य शब्द
अवसर की समता, लोकतंत्र,स्वतंत्रता, समानता, अनुच्छेद १६

प्रस्तावना
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान अवसर पर प्रकाश डालने के पूर्व जनतंत्र के अर्थ को समझना परम आवश्यक है। जनतंत्र 'डेमोक्रेसी' शब्द का रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों 'डोमोस' तथा 'क्रेटीक' से मिलकर बना है। डोमोज का अर्थ है शक्ति तथा क्रेटीक का अर्थ है जनता। इस प्रकार डेमोक्रेसी अथवा लोकतंत्र का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति। जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म तथा वर्ग एवं व्यवसाय आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करने एवं अपनी समस्त शक्तियों के विकसित करने के लिए स्वतंत्रता तथा समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन तथा कार्य करने का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ऐसे समाज में रंग-रूप, जन्म जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्र एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। समान अवसर प्रदान करने का यह अर्थ कदापि नही है कि सब को एक से अवसर मिले। विविधता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति एक से

ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.012

नहीं हो सकते। सब में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। अतः लोकतंत्र में समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार विकास की पूरी पूरी सुविधाएं प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति अपनी रूचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। समाज का कोई भी व्यक्ति उसके इस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से होता है जिसमें उस समाज के सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार भाषण की स्वतंत्रता, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान अधिकार आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने की समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

अचेतन बनाम केरल राज्य के मामले में प्रार्थी को सरकारी अस्पतालों में दूध आपूर्ति का ठेका सरकार ने दिया था किंतु बाद में रद्द कर दिया गया और दूसरे को दे दिया गया जो सरकार की सरकारी संस्था थी। न्यायालय ने इस मामले निर्णय दिया कि सरकार उत्तरदाई नहीं थी क्योंकि ठेकेदार को ठेका संविदा अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था और वह कोई लोकसेवक नहीं था। किसी व्यक्ति को ठेका देना अनुच्छेद १६ के अंतर्गत नियोजन नहीं माना जा सकता प्राइवेट नौकरियों के संबंध में अनुच्छेद १६ लागू नहीं होता है। अनुच्छेद १६ राज्य को पूर्ण अधिकार देता है कि वह लोक सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताओं के मापदंडों को निर्धारित करें। राज्य द्वारा निर्धारित योग्यताओं में मानसिक योग्यता के अतिरिक्त शारीरिक पुष्टि अनुशासन नैतिक स्तर और जनहित आदि भी सम्मिलित है। जिन नौकरियों में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है उनके लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के लिए पूर्व चरित्र आदि के बारे में भी विचार किया जा सकता है तथा उन में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम भी बनाए जा सकते हैं किंतु शर्त यह है कि चयन की कसौटी मनमाने ढंग की न हो निर्धारित मानदंड और पद नियुक्ति में युक्तियुक्त संबंध हो।

संवैधानिक संरक्षण

१५ अगस्त १९४७ को आजादी के बाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। २६ नवंबर सन १९४९ ईसवी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान को २६ जनवरी सन १९५० ईस्वी को लागू करके यह घोषित कर दिया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है जो अपनी जनता के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विकास करके राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा। इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। अवसर की समानता एक मूल अधिकार है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में अवसर की क्षमता को निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त है:-

लोक नियोजन में अवसर की समता (अनुच्छेद १६)

संविधान में कानून के समक्ष, समानता का अधिकार है पर संविधान निर्माताओं को अपने

Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.012

व्यक्तिगत अनुभवों से ये पता था कि हमारे देश में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को जीवन के समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं। पुरुषों के कहलेज जाने की संभावना महिलाओं से अधिक है; किसी सवर्ण के सरकारी नौकरी में चयन की संभावना एक दलित से कई गुना अधिक है। यही बात धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के बारे में भी सही है। इसलिए उन्होंने अवसर की समता का जिक्र किया और उसके लिए कुछ नियम बनाए/प्रावधान किए। आरक्षण उन्ही में से एक प्रावधान है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारे समाज में हजारों सालों से जो लोग दबे-कुचले हैं, वो आगे आ सकें, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं।

लोक सेवाएं अर्थात सरकारी नौकरी हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद १६ के अंतर्गत भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी नागरिक के बीच कोई भी सरकारी नौकरी अर्थात् लोक सेवाओं में किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा जिसका आधार धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान निवास या इनमें से किसी भी कोई एक कारण में हो-

१- खंड एक अनुच्छेद १६ यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद १६ का लाभ केवल नागरिकों को ही प्राप्त हो सकता है। यहां भी पूर्ण समता नहीं हो सकती। प्रायः उम्मीदवार ज्यादा एवं नौकरी कम होती है। अवसर की समता का तात्पर्य एक वर्ग के कर्मचारियों को समानता का अवसर प्रदान करना है ना कि पृथक एवं स्वतंत्र वर्ग के कर्मचारियों को समानता प्रदान करना। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर राज्य के अधीन नौकरियों में नियुक्त के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा।

२- खंड २ अनुच्छेद १६, यह उपबंध करता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद् भव, जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद १६ के खंड (१) और (२) में राज्य की नौकरियों में समता का सामान्य नियम, निहित है। राज्य के अधीन नियोजन में नियुक्त के अवसर की समता के उक्त नियम के तीन अपवाद है जो खंड (३), (४), (४क) और (५) में उल्लिखित है।

३- खंड ३ अनुच्छेद १६ यह उपबंध करता है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निवास स्थान की शर्त लगा सकती हैं। इस प्रकार अनुच्छेद १६ (३) अनुच्छेद १६ (२)का एक अपवाद है। खंड (२) निवास स्थान के आधार पर असमानता को वर्जित करता है, किंतु सरकार कुछ सेवाओं को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है बशर्ते कि इसके लिए उचित कारण हो। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर उस सीमा को निर्धारित करें जहां तक राज्य को उक्त नियम के पालन करने की छूट है। यदि किसी पद के लिए निवास स्थान की अहर्ता के लिए कोई उचित कारण नहीं है तो उसके लिए ऐसी अहर्ता को निहित करना अनुच्छेद १६(३) का अतिक्रमण होगा। राज्य द्वारा इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही खंड(३) को संविधान में समाविष्ट किया गया है। इसी कारण यह शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है।

४- खंड ४ अनुच्छेद १६ राज्य को यह प्राधिकार देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों व पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है जिनको उसकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। इस प्रकार खंड (४) लागू होने के लिए दो शर्तें हैं: -

(१) अभ्यर्थी किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए, तथा

(२) उस वर्ग को राज्य के अधीन नौकरियों मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होना चाहिए।

ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.012

पिछड़ा वर्ग शब्दावली की संविधान में कोई रिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद ३४० राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के अवधारण के लिए आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। आयोग इस बात की जांच करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़े वर्ग के कोटि में आता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्ग में आने वाले वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी। सरकार का निर्णय एक वाद योग्य विषय होगा अर्थात न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि वर्गीकरण मनमाना तो नहीं किया गया है या बोधगम्य सिद्धांत पर आधारित नहीं है।

बालाजी के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण की कसौटी नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए गरीबी, पैसा, जन्मस्थान, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक उन्नति के साधन, शिक्षात्मक प्रगति आज सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। कोई विशेष जाति पिछड़े वर्ग में आ सकती है यदि उस जाति के ६०: लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि एक बार किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया है तो सर्वदा के लिए पिछड़ी जाति बनी रहेगी। सरकार को समय समय पर पूर्ण विचार करते रहना चाहिए और यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि कोई जाति विकास के स्तर पर पहुंच गई है जहां उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उसे उसको पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल देना चाहिए।

५- ७७वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९५ अनुच्छेद १६ (४।)

यह संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल आयोग के मामले में दिए गए निर्णय
प्रभाव को दूर करने के लिए पारित किया गया ळें मंडल आयोग के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके द्वारा अनुच्छेद १६ में एक नया खंड, खंड ४(क) जोड़ा गया है जो यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद १६ में की कोई बात राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है प्रोन्नत के लिए आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित (वर्जित) नहीं करेगी।

६-अनुच्छेद १६ (४ इ) का प्रतिस्थापन

अनुच्छेद संविधान ८१वां संशोधन अधिनियम २००० द्वारा अंतरस्थापित किया गया है यह राज्य को यह अधिकार देता है कि जो आरक्षित पद किसी वर्ष में अनुच्छेद १६(४) या १६(४क) के अधीन नहीं भरे जा सके हो उन्हें आगे वर्षों में भरा जा सकता है।

७- खंड ५ धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं संबंध नौकरियां

अनुच्छेद १६ के खंड ५ में अनुबंधित है कि कोई विधि जिसके अनुसार किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का सदस्य किसी विशेष धर्म का ही अनुयायी हो या उस संप्रदाय का ही सदस्य हो, अनुच्छेद १६ के अन्य उपबंधो के विरुद्ध नहीं समझी जाएगी।

निष्कर्ष

हमारा समाज अभी भी विषमताओं से भरा समाज है, पर कानून इस विषमता को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई यह नहीं कह सकता कि जाति-धर्म के आधार पर अदालत अपराध का निर्णय किया जाएगा। आजादी के बाद से बहुत से बदलाव हुए है, इसके लिए दलितों, आदिवासियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा

Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.012

हैं। बहुत काम होना अभी बाकी है और बहुत सा काम हुआ भी है यह हमे मानना होगा।

दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस तरह कि असमानता का इतिहास रहा है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, नस्ल भेद के आधार पर भीषण अत्याचार हुए। अमेरिका में रंग के आधार पर काले लोगों पर गुलामी का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन हर जगह इंसान ने अपनी गरिमा, अपना सम्मान से जीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। यही किसी भी संविधान की सीमा भी है। जो दलित हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं, गरीब हैं, संविधान उनके लिए माध्यम, उपाय हो सकता हैं, लेकिन बिना संघर्ष के मानवीय गरिमा हासिल करना असंभव है। संविधान द्वारा अवसर की समता दिए जाने के बावजूद सामाजिक असमानता आज भी क्यों बनी हुई है? आरक्षण तो एक 'सीमित-समाधान' है। क्या हमने कभी विचार किया कि सामाजिक असमानता दूर करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? भारतीय संविधान व्यक्ति और समाज, स्वतंत्रता और समानता, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का संकल्प लेकर चला था, लेकिन हम इतने व्यक्ति केंद्रित हो गए कि उन तमाम सामाजिक इकाइयों को बहुत पीछे छोड़ आए जो हमारे वैयक्तिक उन्नयन की आधारशिला थीं। सच्चे लोकतंत्र के लिए केवल लोकतांत्रिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं ही नहीं, लोकतांत्रिक मनोविज्ञान भी जरूरी है। जनतंत्र की सफलता विशाल भवनों, विधान-सभाओं, विधान-परिषदों तथा सांसदों से नहीं होती अपितु ऐसे नागरिकों से होती है जो जनतंत्र के मूल्यों का पालन करते हों।

भारतीय संविधान का उद्देश्य एक ऐसे समाज को प्राप्त करना है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाए। संविधान के तहत समानता के अधिकार के आलोक में जो विकास हुए हैं, उन्होंने भारतीय समाज का उत्थान किया है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जहां सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। न्यायालयों ने निर्णयों के माध्यम से विभिन्न व्याख्याएं दी हैं ताकि समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जो भारतीय संविधान के निर्माताओं का इरादा था। अवसर की समता एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों व आदर्शों को पूरा करते हैं परंतु केवल संवैधानिक संरक्षण से ही किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती इसके लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक जातीयता प्रांतीयता तथा भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बन जाए तभी हम संविधान के आदर्शों को विकसित कर सकते हैं तथा व्यक्ति, समाज, स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थसूची

- भारत का संविधान (डह्र जय नारायन पाण्डेय) ५४जी edition २०२२
- भारत का संविधान (प्रोफेसर जी. यस. पाण्डेय) १५जी edition २०१६
- www.prabhasakhi.com
- www.dristiias.com
- www.books.google.co.in
- www.sol.du.ac.in
- https://hindi.livelaw.in